भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

कोषागार फतेहपुर

02 2019

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

मुख्य रोकड़िया

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH न्यास विलेख EV 783417

शिव इण्टरनेशनल फाउन्डेशन

(A Public Welfare and Charitable Trust)

(अन्तर्गत गत धारा-5 पठिताधारा-6, धारा-3 इण्डियन ट्रस्ट एक्ट 1882)

मै कि अभिजीत पटेल पुत्र गंगा सागर निवासी जयराम नगर जोनिहा चौराहा थाना कोतवाली फतेहपुर (उ०प्र०) विदित हो कि समाज सेवा से प्रेरित होकर जन-जीवन के उत्कर्ष एव जन कल्याण के उद्देश्यसे शिव इण्टरनेशनल फाउन्डेशन का गठन ,आज दिनाक 12.07.2019 ई0 तदनुसार सम्वत 2075 आषाढ शुक्ल पक्ष एकदशी शुक्रवार को कर रहा हू ।और इस ट्रस्ट डीड (न्याय विलेख) कोनिष्पादित कर रहा हू। जिसमे मै अपनी पूंजी मे से 5000.00 रु0 इस गठित ट्रस्ट को दान स्वरुप दे रहा हू।

Scanned by CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

कोषागार फतेहपुर

02 JUL 2019

मुख्य रोकड़िया

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EV 783418

इस ट्रस्ट के न्यासी निम्न लिखित व्यक्तियो कि घोषणा करता हू:-

मुख्य न्यासी – निष्पादक स्वय

अन्य न्यासी के नाम व पते :

1. अभिषेक पटेल पुत्र श्री गंगासागर पटेल , निवासी ग्राम- मदरियापुर मजरे कैयई पोस्ट- ढकौली जिला- फतेहपुर (उ0प्र0) यह कि उक्त न्यासी बालिक है और भारतीय संविदा अधिनियम के प्रावधान के अंतर्गत सौदा करने (कान्ट्रैक्ट करने)के अधिकारी है, अतएव इण्डियन ट्रस्ट एक्ट 1882 की धारा-10 के प्रावधान के अनुसार उक्त अंकित सभी व्यक्ति इस न्यास के न्यासी होने हेतू पूर्ण रूप से सक्षम है।
2. शिव इण्टरनेशनल फाउन्डेशन का पता - जयराम नगर (नजदीकऋतुराज महाविद्यालय) जिला-फतेहपुर (उ0प्र0) पिन – 212601
3. शिव इण्टरनेशनल फाउन्डेशन का गठन की तिथि - दिनांक 12.07.2019
4. शिव इण्टरनेशनल फाउन्डेशन का कार्यक्षेत्र- सम्पूर्ण भारत
5. ट्रस्ट का वर्ष - वितीय वर्ष 01 अप्रैल से 31 मार्च।

सभी न्यासी(ट्रस्टी) के अधिकार व दायित्व

1. यह कि उक्त सभी न्यासी ने बिना किसी जोर दबाव के स्वेच्छा से ट्रस्ट के ट्रस्टी होने हेतू ह्रदय से अपनी-अपनी स्वीकृति दे दी है तथा इस डीड मे अपने-अपने हस्ताक्षर भी स्वेच्छा से किया है।
2. यह सभी ट्रस्टी स्वेच्छा से वचनबध्द हुए है कि इस ट्रस्ट मे अंकित उद्देश्यो को साकार करने व कराने के लिये मन,वचन तथा कर्म मे समर्पित होकर सतत प्रयत्नशील रहेंगे तथा इस ट्रस्ट की वर्तमान चल व अचल सम्पति का दुरुप्रयोग एव हानि न होने देंगे अपितू इस ट्रस्ट की चल व अचल सम्पति मे वृद्धि करने व कराने हेतु निरन्तर कार्यरत रहेंगे।
3. यह कि कोई भी ट्रस्टी न्यास की चल व अचल सम्पत्ति को किसी भी प्रकार से व्यक्तिगत लाभ अर्जित करने हेतू प्रयोग नही करेगा।
4. यह कि इस ट्रस्ट का कोई भी ट्रस्टी इस ट्रस्ट के किसी भी प्रकल्प व उसकी समिति या उप समिति के कार्यो का निरीक्षण कर सकता है तथा त्रिटियो की ओर संकेत कर सकता है, यदि आवश्यक हुआ तो उसके विरूध्द यथोचित कार्यवाही करने हेतू अपनी आख्या मुख्य ट्रस्टी(निष्पादक) को देगा ।
5. यह कि मुख्य न्यासी सभी न्यासीयो के समक्ष अपने उत्तराधिकारी की घोषणा करेगा और अगर ऐसा नहि करता तो शेष न्यासीगण अपनी पूर्ण सहमति से इस न्यास के किसी भी मुख्य न्यासी बना सकेंगे । यह प्रक्रिय भविष्य मे लागू रहेगी ।
6. यह कि किसी भी न्यासी के दिवंगत होने पर उसकी किसी भी न्यासी के दिवगत होने पर उसकी किसी भी ऐसी संतति को जो इस ट्रस्ट के प्रति समर्पित हो और उसके ह्रदय मे जनता जनार्दन की सेवा करने की ललक हो किन्तु यदि दिवगत न्यासी की सभी संतति अथवा एक से अधिक उक्त वर्णित गुणो के

अभिषेक पटेल

Scanned by CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

कोषागार फतेहपुर
02 JUL 2019
मुख्य कोषाधिकारी

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH EV 783419

धारक हो तो नावासीगण अपनी पुर्ण सहमति से उनमे से किसी एक या अधिक से अधिक 02 को इस ट्रस्ट का ट्रस्टी बना सकेंगे | परन्तु किसी भी दशा मे मुख्य न्यासी को मिलाकर कुल न्यासियो की संख्या-05 से अधिक नही होगी|

7. यह कि न्यास के लिये सम्पति क्रय करने एंव न्यास के लाभ हेतू न्यास की सम्पति की बिक्री,खरीद व रेहन व किरायानामा आदि विलेख निष्पादित करने का अधिकार केवल मुख्य न्यासी को ही होगा एंव सभी महत्वपुर्ण निर्णय जो न्यास के लाभ मे हो करने का अधिकार मुख्य न्यासी को ही होगा |

<u>ट्रस्ट(न्यास) के उद्देश्य</u>:-

सामान्यत: मनुष्य की मुख्य समस्यायें यथा-शिक्षा निवास भोजन,वस्त्र,पेयजल,चिकित्सा, पर्यावरण वैज्ञानिक प्रोधोकिकी भारतीय संस्कृति , कृषि , विवाह, प्रकृति सृजित अथवा मनुष्य या समाज व शासन-प्रशासन द्वारा इन सभी समस्याओ के निस्तारण हेतू विविध प्रकार के साधन व सुविधाओ उपलब्ध करायी जाती है, किन्तु भारतवर्ष के विशाल जन-समुदाय को देखते हुए ये किसी भी प्रकार से पर्याप्त नही हुआ करती | साथ ही इनकी पूर्ण जानकारी भी नही हो पाती | जिससे उक्त साधन व सुविधाओ का बहुत अल्प अंश ही पात्र व्यक्तियो के पास पहुच पाता है और समस्याये यथादत बनी रहती है | इन सभी समस्याओ का निराकरण वास्तव मे जन सेवा की परिधि मे ही आता है | अतएव इस ट्रस्ट का उद्देश्य उक्त समस्याओ का निराकरण करने व कराने हेतू यथा सम्भव प्रयास करना है.

1. सेवा:-

भारतीय संस्कृति विश्व पटल मे प्रमुख स्थान आता है| जिसमे हमारी संस्कृति मे जननी माताओ को प्रथम गुरू का पद प्राप्त है,उनके गर्भ से उत्पन्न हमारे महापुरूषो, हमारे पूर्वजो और हम सबने जन्म लिया है, जिनके हम ऋणी है | संसार की समस्त माताओ के सेवार्थ, रक्षार्थ हम सब का प्रमुख कर्तव्य है |

पृथ्वी माँ भारत माता जननी माँ गंगा माँ गौ माता समस्त पवित्र माताओ के सेवार्थ, रक्षार्थ संवध्दनार्थ, स्मरणार्थ विभिन्न प्रकार की कार्ययोजना तैयार कर कार्य करना ट्रस्ट का मुख्य कार्य करना ट्रस्ट का प्रमुख कार्य होगा |

a). जननी(जन्म देने वाली माँ) के सेवार्थ ऐसी निराश्रित माताये जिनकी वृद्ध अवस्था मे परिजन भी सेवा नहीं करना चाहते उनके लिए धर्मार्थ वृद्ध आश्रमो की स्थापना करना एवं संचालन करना |

b).पृथ्वी माँ जिससे उत्पन्न खाद्यान्न से संसार के समस्त जीवो का पालन होता है उसे जहरीले रासायनिक उर्वको से बचाकर जैविक कृषि को बढ़ावा देना, वृक्षरोपण करना, फलदार वृक्षों को संक्षरित करना |

c).गंगा माँ जो संसार की जीवनदायनी है उसे प्रदूषण मुक्त कराना, स्वच्छता अभियान में भागीदारी करना |

d).गौ माता शुद्ध पौष्टिक दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र मे गौशालाओ का निर्माण करना, आधुनिक तकनीक से गोवंश की नस्लों में सुधर करना

व्यवसायिक दृष्टि से गोमूत्र, गौ गोबर आदि को संरक्षित कर उपयोगी बनाना |

2. शिक्षा:-

आदित्य पटेल

Scanned by CamScanner

आवेदन सं०: 201900878011527

न्यास पत्र

बही सं०: 4 रजिस्ट्रेशन सं०: 42 वर्ष: 2019

प्रतिफल- 50000 स्टाम्प शुल्क- 850 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 500 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 60 योग : 560

श्री अभिजीत पटेल ,
पुत्र श्री गंगा सागर
व्यवसाय : अन्य
निवासी: जयरामनगर जोनिहा चौराहा थाना कोतवाली फतेहपुर(उ० प्र०)

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनाँक 12/07/2019 एवं 04:53:30 PM बजे निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

प्रतिभा श्रीवास्तव प्र0
उप निबंधक :सदर
फतेहपुर
12/07/2019

अनिल कुमार श्रीवास्तव
निबंधक लिपिक

Scanned by CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

कोषागार फतेहपुर

02 JUL 2019

मुख्य रोकड़िया

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EV 783420

मानव मात्र में मानवीय गुणों का विकास कर राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु तथा सुखद व सम्मान पूर्ण मानव जीवन व्यतीत करने हेतु नर-नारी सभी को शिक्षित होना आवश्यक होता है | किन्तु धनाभाव व् अन्य आवश्यक सुविधाओ के आभाव में सामान्यतया व्यक्ति अपने अपने बच्चो को पर्याप्त शिक्षा नहीं दिला पता यहाँ तक कि आर्थिक विपन्नता के कारन बहुत बड़ी संख्या में आज बच्चे अशिक्षित रह जाते है | उचित क्शिक्षा के आभाव में ये अपनी दैनिक जीवन की आवश्यक अवश्यकताओ की पूर्ति नहीं कर पते है | योग्य मेधावी छात्र-छात्राओं को वांछित सहयोग व् सुविधाए प्रदान कैने हेतु यह ट्रस्ट निम्नलिखित कार्य करने का प्रयास करेगी |

a). सभी प्रकार के कौशल विक्ष कार्यक्रम को जनहित में संचालित करना व् प्रचार-प्रसार करना |

b).निर्धन व् निरश्रित छात्र-छात्राओ को शिक्षा सम्बन्धी वांछित सामग्री उपकरणों व् वस्तुओ को उपलब्ध कराया जाना तथा उनकी शिक्षा शुल्क तथा अन्य मुलभूत अवश्यकताओ, अनुदान व् छात्रवृति आदि दिलाया जाना |

c).सभी स्तर की शिक्षाओं के दिलाये जाने हेतु छात्र-छात्राओं की योग्यता व् क्षमता के अनुरूप उन्हें सम्बंधित यथोवित मार्ग दर्शन व् अन्य संभव सभी प्रकार की सुविधाए उपलब्ध कराया जाना |

d). दैनिक उपयोगिता की द्रष्टि से तदनुरूप विविध प्रकार की तकनिकी शिक्षा की व्यवस्था कराना |

e).छात्र-छात्राओं को विभिन्न प्रकार के ज्ञान व् विज्ञानं एव सस्कर से विभूषित करने हेतु समय-समय पर तदनरूप सक्षम विद्वानों द्वारा प्रशिक्षित कराना तथा अध्ययन शिविर का आयोजन कराया जाना |

f). समय की मांग व् अवश्यकताओ के अनुरूप शिक्षा सम्यन्धी अन्य विविध प्राकर के साधनों व् सुविधाओ को उपलब्ध कराना, व्यावसायिक एव व्यवहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करना |

g).बालको एवम् बालिकाओं को राष्ट्र की मुख्य धाराओ में जोड़ने हेतु विभिन्न प्रकार के तकनीकी, मडिकल, व्यवसायिक, स्वास्थ्य, खेलकूद, विधि आदि सम्बंधित शिक्षा संस्थानों (स्कूल, कालेज) की स्थापना करना एव स्वास्थ्य मनोरंजन हेतु सांस्कृतिक कार्यक्रम, पुस्तकालय व् वाचनालय तथा सिनेमा आदि के द्वारा निःशुल्क स्वस्थ मनोरंजन की व्यवस्था करना |

h).विकलांगो, विधवाओ समाज में उपेक्षित महिलाओ, पुरुषों तथा बालको को जीवन यापन हेतु समुचित सहयोग देना |

i).आश्रम पद्धति वियालओ के माध्यम से बालको एव बालिकाओ को शिक्षित करना |

j).खादी एव ग्रामोद्योग, ग्रामीण प्रौद्योगिकी, यांत्रिक अविस्कारो का उन्नयन तथा ग्रामीण तकनीकी प्रशिक्षण के माध्यम से सुधरी हुयी तकनीकी का प्रचार व् प्रसार करना | साथ ही आवासीय एव अनावासीय विद्यालयो का संचालन/स्थापना करना |

Scanned by CamScanner

आवेदन सं०: 201900878011527

बही सं०: 4 रजिस्ट्रेशन सं०: 42 वर्ष: 2019

निष्पादित लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

न्यासी: 1

श्री अभिजीत पटेल, पुत्र श्री गंगा सागर

निवासी: जयरामनगर जौनिहा चौराहा थाना कोतवाली फतेहपुर(उ० प्र०)

व्यवसाय: अन्य

ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री जंग बहादुर सिंह, पुत्र श्री रामनारायण सिंह

निवासी: फतेहपुर नगर करसूमा चुरियानी ,जिला फतेहपुर

व्यवसाय: अन्य

पहचानकर्ता : 2

श्री योगेन्द्र सिंह, पुत्र श्री कृष्णा

निवासी: रामा रगेहरा सिठौरा ,जिला फतेहपुर

व्यवसाय: अन्य

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ने की । प्रत्यक्षतःभद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है ।

टिप्पणी :

प्रतिभान श्रीवास्तव प्र0
उप निबंधक : सदर
फतेहपुर

अनिल कुमार श्रीवास्तव
निबंधक लिपिक

Scanned by CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

कोषागार फतेहपुर
02 JUL 2019
मुख्य रोकड़िया

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH EV 783423

k) उक्त सभी प्रकार की समस्याओ के निराकरण हेतु शासन-प्रशासन सरकारी तथा अन्य किसी भी शक्ति द्वारा दी जाने वाली सभी प्रकार की सहायता के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी करके उनसे जरूरतमंद व्यक्ति को अवगत कराते हुए उन सुविधाओ को प्राप्त कराने में यथा सम्भव सहायता करना तथा सम्बंधित सरकारी विभाग से सार्थक सहायता प्राप्त कराना |

l) यह कि यह ट्रस्ट शहरी एवं ग्रामीण गरीबो के सर्वांगीण विकास एवं कल्याण सहित उनके नागरिक अधिकारों के संरक्षणहेतु यथा संभव पैरवी करेगी |

m) यह कि यह ट्रस्ट कार्यक्षेत्र के दलित/आदिवासी एवं वंचित वर्गों तथा संकटग्रस्त समुदायों के सर्वांगीण विकास एवं दशा सुधार हेतु हर संभव प्रयास करेगी | साथ ही सामाजार्थिक विकास/कल्याण से जुड़े विभिन्न मुददे यथा-शिक्षा, सामुदायिक स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण, गरीबी उन्मूलन, जनसख्या नियंत्रण, प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य, एच०आई०वी० एवं एड्स नियंत्रण, स्वच्छ पेयजल/ स्वच्छता, जैविक कृषि, हस्तशिल्प विकास/विपणन, प्राकृतिक संसाधन संरक्षण/प्रबंधन, आपदा प्रबंधन, मानवाधिकार संक्षरण, उपभोक्ता/निवेशक कल्याण एवं संक्षरण, अल्पसंख्यक कल्याण, पशु एवं वन्य जीव संक्षरण/कल्याण, सामुदायिक सौहार्द एवं शांति सृजन इत्यादि पर केन्द्रित कार्यक्रमों का जनहित में क्रियान्वयन करेगी |

n) देश में शांति बनाये रखने हेतु यह ट्रस्ट (न्यास) निम्नलिखित कार्य करेगा |

- सामन्यता अज्ञानता व् भ्रमवश व् धार्मिक झगड़े एवं वर्ग संघर्ष हुआ करते है, उनसे छुटकारा पाने के लिये धर्म और सम्प्रदाय के वास्तविक अर्थ का प्रचार किया जाना इसके लिए छोटी-छोटी (बुकलेट्स व् लीफलेट्स) आदि को बनाकर उन्हें विभिन्न धर्मों में जिज्ञासुओ के मध्य वितरित करना |
- धर्म और सम्प्रदाय के मूल अर्थ के प्रति समझ विकसित करने हेतु विद्वानों की गोष्ठी का अयोजन किया जाना |
- समय की मांग व् आवश्यकता को दृष्टी में रखकर भारत की तीनो सेनाओ के जवानो को प्रोत्साहित करना तथा शहीद जवानो के परिजनो को सम्मानित व् प्रोत्साहित करना एवं जन कल्याण हेतु अन्य वांछित कार्य को करना |

j) यह की धनहीन योग्य उत्साही सचरित्र व्यक्तिओको स्वम्लाम्बी बनाने हेतु तथा सम्भव विविध प्रकार की सहयोग दिया जाना |

k) उन्नतिशील कृषि के विकास हेतु गौशाला, जैविक खाद व् उन्नति किस्म के बीज, कीट नाशक व् नवीन सिचाई पद्धति को विकसित कर लोगो तक पहुचाना व् उनकों आत्म निर्भर बनाने का प्रयास करना |

l) इस ट्रस्ट (न्यास) के उक्त उददेश्यों की पूर्ति में संभावित आर्थिक सहयोग जुटाने हेतु विभिन्न प्रकार के सहायतार्थ कार्यक्रम एवं योग शिक्षा कक्षाओं का आयोजन करना |

m) इस ट्रस्ट (न्यास) के उक्त उददेश्यो की पूर्ति हेतु भूमि खरीदकर उन्हें प्लाटो के रूप में विकसित करके उनकी बिक्री किये जाने का कार्य करना |

n) समाज में आपसी छोटे-छोटे विवादों, लड़ाई-झगड़ो, मतभेदों को उनसे सम्बंधित सभी पक्षों को सहमत कराकर सभी प्रकार के विवादों को समाप्त कराने का हर संभव प्रयास करना |

[illegible] पटेल

Scanned by CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

कोषागार फतेहपुर

02 JUL 2018

मुख्य रोकड़िया

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EV 783421

आवास व् गरीब व्यक्तियों को उनका अपना स्वय का घर निर्माण कराने हेतु राष्ट्रीय/अंतराष्ट्रीय संगठनों एव अन्य व्यासायिक संस्थाओ तथा शासन-प्रशासन से अनुदान दिलाने में यथा संभव सहयोग देना व् सस्ते घर बनाने की तकनीकी विकसित कर, प्रशिक्षण इत्यादि देकर जनता को लाभान्वित करना।

4. **भोजन, वस्त्र व् पेयजल :-**

बहुत देखा जाता कि संसाधनो की कमी और उचित मार्ग दर्शन के अभाव में प्रायः व्यक्ति भटकाव का शिकार हो जाता है। अतएव ऐसे लोगो को जीवन जीने की कला सिखाते हुए उनके स्वाभिमान को जाग्रत कराने की व्यवस्था करना। ताकि वे स्वयं ही स्वालम्बी बन अपनी दैनिक आवश्यकताओ की पूर्ति करते हुए सम्मानपूर्ण जीवन व्यतीत कर सके।

जहा तक पेयजल की समस्या का प्रस्नहै, उसके समाधान हेतु स्थानीय निकायों तथा पंचायत राज व्यवस्था व् अन्य शासन-प्रशासन व्यवस्थाओ द्वारा शुद्ध पेयजल की व्यवस्था मनुष्यो व् पशुओ को कराना व् सामूहिक उपयोग हेतु हैण्डपम्प, जलाशयों एव कुओं का निर्माण कराना तथा जो भी साधन इस सम्बन्ध में किसी भी स्रोत से उपलब्ध हो सकते है, उनकी व्यवस्था करना तथा दूषित पेयजल से होने वाले नुकसान व् क्षति से बचाव हेतु प्रशिक्षण आदि कि व्यवस्था करना व जल संक्षरण हेतु जनता को शिक्षित व् जागरूक करना। ग्रीष्मकाल में आवश्यकतानुसार यथा संभव पौशालो का संचालन करना।

5. **स्वास्थ्य/चिकित्सा सम्बन्धी सुविधा:-**

मानव जीवन बहुमूल्य है। आज बीमारियों में ह्रदय, लीवर, ऑख, अन्य सभी अंग मृत्योपरांत बेकार हो जाते है जीवनकाल में टेस्ट के माध्यम से मानव, अंगो के दान कराने के लिए टेस्ट कार्य करेगा ताकि अंगो के खराब होने से किसी की मृत्यु न हो।

वर्तमान समय में सामान्यतः मोतियाबिंद, कैंसर, कुष्ठ रोग, दुर्घटना से प्राप्त अपंगता आदि ऐसे रोगों में मनुष्य त्रस्त है जिससे छुटकारा पाना त अधिक व्ययशील हुआ करता है जो की मध्यम स्तर के परिवारों तक की शक्ति के बाहर हो जाया करता है। अतः इन रोगों के कष्ट से मुक्ति दिलाने में अर्थाभाव को रोड़ा बनने से रोकने के लिए यह ट्रस्ट (न्यास) निम्नलिखित साधनों को उपयोगी:-

a) मोतियाबिंद निवारण, कुष्ठ रोग, कैंसर से मुक्ति दिलाने हेतु शिविरों का आयोजन.
b) दुर्घटनाओ में जख्मी व्यक्तियों के लिए वांछित उपचार हेतु शिविर का आयोजन.
c) पद्धति की निःशुल्क चिकित्सा उपलब्ध करवाना.
d) आयुर्वेद पुस्तको/ होमियोपैथिक चिकित्सा, एक्यूपंचर व् एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति की निःशुल्क व्यवस्था करना.
e) आयुर्वेद चिकित्सा पत्रिकाओ से विविध प्रकार की चिकित्सा के लिए छोटे-छोटे नुस्खो को संग्रहित करके उनके द्वारा चिकित्सा कराने हेतु साधन उपलब्ध करना और प्रचार-प्रसार कराना।
f) योग शिक्षा, व्यायामशालाओ व् प्राकृतिक चिकित्सा के निःशुल्क शिक्षण की व्यवस्था करना।

अंकित पटेल

Scanned by CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

कोषागार फतेहपुर

02 JUL 2019

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EV 783422

g) स्वस्थ रहने के रहने लिए स्वच्छता को बनाये रखना तथा सामुदायिक/ग्रामीण स्वच्छता के शौचालय के प्रयोग हेतु जागरूक करना तथा शौचालाओ का निर्माण कराना |

h) मानव अंगो को दान कराने के लिए प्रेरित करना एवं दान कराना तथा दान लेने संस्थाओ के सहायक के रूप में कार्य करना |

i) आयुष मंत्रालय द्वारा संचालित विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम संचालित करना व् प्रसारित करना |

6. विवाह, सामाजिक संसार एवं अन्य:-

a) प्रायः देखने में आता है कि संपर्क के आभाव में तथा अर्थाभाव के कारण बहुत से युवक-युवतियाँ घर बसाने व् सामाजिक संस्कारो का अवसर नहीं प्राप्त कर पाते | इस समस्या से निपटने हेतु यह ट्रस्ट (न्यास) समय-समय पर सामूहिक विवाह, सामूहिक उपनयन संस्कार आदि का आयोजन करेगा |

b) विवाह संस्कारो में हो रहे अपव्यय को रोकना व् रात्रि के स्थान पर दिन में विवाह संस्कार कराने व् करने आदि का समुचित प्रचार-प्रसार कराया जाना |

c) धनहीन विवाह योग्य लडकियों को विवाह हेतु धन की व्यवस्था करना |

d) विधवा व् विधुर के मध्य विवाह संपर्क शिविर का आयोजन किया जाना |

e) विवाह सम्बन्धी कुरीतियों का प्रचार करते हुए यथा संभव उन्हें दूर कराने का प्रयास किया जाना | विवाह पश्चात् आने वाली पारिवारिक समस्याओ के निराकरण हेतु परामर्श की व्यवस्था करना |

f) बाल श्रम उन्मूलन के लिए कारगर प्रयास करना तथा शिशु व् बाल सुधर ऐक्ट 2006 के अंतर्गत बाल गृहो की नियमानुसार स्थापना करना, बालको का समुचित विकास करना | बंधुवा मजदूरो को मुक्त कराने का प्रयास व् उनके पुनर्वास की व्यवस्था करना | बालको में अपराध की बढ़ती हुई प्रवति को रोकना व् बालक अपराधियों को शैक्षणिक, सामाजिक एवं चारात्रिक विकास एवं नियमानुसार पुनर्वास की व्यवस्था करना |

g) घरेलु महिला हिंसा अधिनियम 2006 के तहत पीड़ित महिलाओ को कानूनी सहायता उपलब्ध करना तथा पुनर्वास की व्यवस्था करना |

h) न्यास के उददेश्यो की पूर्ति सेतु सरकारी/अर्द्ध सरकारी, रचनात्मक संस्थाओ/विभागों/मंत्रालयों/व्यक्तिगत प्रतिष्ठानों से आर्थिक सहायता नियमानुसार प्राप्त करना व् उसके उपयोग से संस्था की उददेश्यो की पूर्ति करना |

i) जन सूचना अधिकार अधिनियम 2006 के द्वारा जनहित में कार्य करना |

j) दैहिक-दैविक व् भौतिकी तापो व् आपदाओ मे तत्काल वांछित सहायता यथा संभव पहुचाना |

आकांक्षा पटेल

Scanned by CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BN 706837

ट्रस्ट (न्यास) के कोष का प्रबन्धन :-

इस ट्रस्ट (न्यास) के कोष को ट्रस्ट के नाम से ही किसी भी राष्ट्रीयकृत या निजी क्षेत्र के बैंक में आवश्यकतानुसार खाते खोलकर इस ट्रस्ट (न्यास) के मुख्य न्यासी द्वारा खाते का संचालन किया जायेगा। आवश्कयता पड़ने पर किसी भी एक या दो अन्य न्यासी/न्यासियो के सयुक्त हस्ताक्षर से खाते का संचालन मुख्या न्यासी द्वारा किया जायेगा। ट्रस्ट प्रस्तावित कार्यक्रमों/गतिविधिओ के संचालन हेतु आवश्यक धनराशि का आहरण मुख्य न्यासी द्वारा एकल या सयुक्त रूप से किया जायेगा।

ट्रस्ट (न्यास) का प्रबन्धन:-

1. वर्तमान समय में इस ट्रस्ट (न्यास) की मात्र 5000.00 रु मात्र ही पूंजी है। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार की कोई चल या अचल सम्पति नहीं है। अतएव मेरे सहित सभी ट्रस्टीज को एकमात्र होकर विलेख में अंकित उददेश्यो में से किसी भी उददेश्यों के ऐसे प्रकल्प को चुनना होगा जिससे धन कम से कम व्यय हो और उससे संभावित वाछनीय धन की व्यवस्था सरलता से उक्त वर्णित आर्थिक स्रोतों से प्राप्त करना संभव प्रतीत हो, और इस प्रकल्प से सम्बंधित जनता को यथोचित अधिक से लाभ होने के साथ ही ट्रस्ट (न्यास) का प्रचार-प्रसार और ख्याति अधिकाधिक रूप से अधिक से अधिक क्षेत्रों में हो सके।
2. यह की एक कार्य समिति का गठन किया जायेगा जिसमे मुख्य ट्रस्टी व् सभी ट्रस्टीज मुख्य ट्रस्टी द्वारा नामित सदस्य होंगे। इनके अतिरिक्त जन कल्याण में रूचि रखने व्यक्तिओ का मनोनयन सभी ट्रस्टीज की पूर्ण सहमति से होगा। यह कार्य समिति इस ट्रस्ट द्वारा लिए गए प्रकल्पो से सम्बंधित शासन-प्रशासन व् सभी प्रकार की सरकारों के सक्षम अधिकारियो से संपर्क करके उनसे सम्बंधित प्रकल्पो को सुविधा सहयोग तथा अनुदान दिलाये जाने का प्रयास करेगी और सम्बंधित सार गर्भित सूचनाओ का संग्रह भी करेगी जिससे वंचित जन-समुदाय तक उन्हें पंहुचा कर अधिकाधिक लाभ दिया जा सके। यह समिति अपने सभी कार्यों को अधिकाधिक प्रभावी बनाने हेतु प्रत्येक कार्य हेतु उपसमिति का गठन भी कर सकेगी एवं तदनरूप सभी प्रकल्पो की समितियों को मार्गदर्शन दिया करेगी।
3. इस ट्रस्ट (न्यास) द्वारा जो भी प्रकल्प लिए जाएँगी उनमे से प्रत्येक प्रकल्प के संचालन हेतु कम से कम तीन-तीन व्यक्तियों की समिति उसी प्रकल्प के नाम से गठित किम जाएगी किन्तु इन प्रत्येक समिति व् उपसमिति के सदस्यों एवं उनके अध्यक्ष व् सयोजक की नियुक्त का पूर्ण अधिकार इस ट्रस्ट (न्यास) के मुख्य न्यासी का होगा। जिसमे कोई भी व्यक्ति हस्तक्षेप नही कर सकता। हां, किसी के द्वारा दी गयी सलाह पर इस ट्रस्ट का मुख्य न्यासी स्वयं अथवा इस ट्रस्ट के सभी न्यासियो से विचार करके उचित निर्णय ले सकेगा। जिसका विरोध करने का किसी को भी अधिकार ना होगा।
4. इन समितियो व् उपसमितियो द्वारा लिए गए निर्णय इस ट्रस्ट के मुख्य न्यासी के लिखित अनुमोदन पर ही प्रभावी होंगे। मुख्य न्यासी को इन समितियो अथवा उपसमितियो द्वारा लिए गए निर्णय को निषित करने संशोधन करने और उसमे अपने मत की वृद्धि करने का अधिकार होगा। हां यह अवश्य है की मुख्य न्यासी यदि आवश्यक समझता है तो इस ट्रस्ट के किसी भी न्यासी अथवा न्यासियो से सलाह ले सकता है।

Scanned by CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BN 706839

5. समितियो तथा उपसमितियो द्वारा सम्बंधित प्रकल्पो के संचालन हेतु समस्त प्रासियो व् व्यय का बोधगम्य ऐशा लेखा-जोखा रखना होगा जिसकी सामान्य रूप से संबधित वाउचर्स व् रसीदों से अथवा दिए गए प्रमाणपत्रो से पुष्टि हो ।

6. इस समितियों व् उपसमितियो के मार्गदर्शन हेतु ट्रस्ट सहित सभी ट्रस्टीज व् सम्बंधित समिति के लिए गये सदस्यों की सम्मिलित बैठक में उप नियम बनाए जायेगे जिससे इन समितियों अथवा उपसमितियों को अपने कार्य संचालन में प्रास हो सके ।

7. इन समितियो व् उपसमितियो के आय व्यय सम्बन्धी लेखा पुस्तको का आडिट इस ट्रस्ट का मुख्य न्यासी करेगा अथवा इसके निर्देशन में इस ट्रस्ट का कोई भी ट्रस्टी करेगा अथवा आवश्यकता पड़ने पर मुख्य न्यासी के निर्देशानुसार किसी भी अधिकृत चार्टर्ड एकाउंटेड से कराया जायेगा ।

8. इस समितियो द्वारा लिए गये प्रकल्पो का खाता किसी भी बैंक में ट्रस्ट के नाम से ही खोला जायेगा जिसका संचालन इस ट्रस्ट डीड के (न्याय विलेख) में वर्णित विधि से ही होगा ।

9. इन सभी इस समितियो व् उपसमितियो के के सभी प्राकर के कार्यो का निरक्षण उनकी त्रुटियो के पाए जाने पर उन्हें संशोधित करने का निर्देश उनकी कार्य विधिया को और भी अधिक प्रभावी बनाने हेतु मार्गदर्शन तथा प्रत्येक समिति की लेखा पुस्तको जांच और उनके रोकड़ की स्तिथि आदि का निरक्षण इस ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी अथवा कोई भी ट्रस्टी समय-समय पर करेगा और अपनी आख्या विचार्थ ट्रस्टीज की बैठक में प्रस्तुत करने हेतु मुख्य ट्रस्टी को शीघ्रातिशीघ्र देगा ।

10. इन समितियो को अपने-अपने प्रकल्पो की बचत में से दिन-प्रतिदिन के कार्यो के संचालन हेतु आवश्यक धन को छोड़कर शेष धन को मुख्य ट्रस्टी के निर्देशन में ट्रस्ट के बैंक खाते में शीघ्रप्रतिशीघ्रजमा करना होगा जिसे मुख्य ट्रस्टी अपने ट्रस्टियो की आम सहमती से किसी भी प्रकल्प में अथवा आय के स्रोत बढ़ाने में खर्च कर सकेगा ।

11. इन सभी समितियो को अपनी आय-व्यय की पंजिका को अपने कार्यालय में ही रखना होगा और आर्थिक व्यवस्था की जानकारी हेतु सम्पूर्ण ट्रस्ट का पुरे वर्ष का चिटठा बनाए जाने के उददेश्य से संबधित समितियो के न्यासी सदस्यों के हस्ताक्षर द्वारा सत्यापित अपने-अपने वार्षिक चिट्ठे की नकल ट्रस्ट के मुख्यालय के उपरोक्त पते में वर्ष में समाप्त होने के 15 दिन के भीतर भेजना होगा ।

12. इस ट्रस्ट के मुख्य कार्यालय का दायित्व है कि सभी समितियो से उनके चिट्ठो को प्राप्त कर इस ट्रस्ट का वार्षिक चिटठा व् उनके कार्यो का विवरण तथा उनकी अवश्यकताओ को एकत्रित करना होगा जिससे वह उन्हें मुख्य ट्रस्टी को ट्रस्टीज की बैठक में रखकर तदनुरूप प्रत्येक समिति हेतु बजट बनवा सके व् उनकी समस्याओ का निराकरण करके उनके अवश्यकताओ की पूर्ति करा सके ।

13. इस तसत की किसी भी समिति व् उपसमिति के किसी भी सदस्य/कार्यकर्ता की नियुक्त करने एवं हटाने सहित उसके स्थान पर दुसरे सदस्य की नियुक्ति करने का अधिकार मुख्य ट्रस्टी को होगा न्यास से संबधित सभी दस्तावेजो अनुबंधो एवं समझौता पत्तो आदि पर ट्रस्ट की ओर से हस्ताक्षर करने का अधिकार मुख्य ट्रस्टी को होगा या फिर ट्रस्टी द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि को होगा ।

14. मुख्य ट्रस्टी चल रहे किसी भी प्रकल्प व् उसकी समिति उपसमिति को स्थगित अथवा निरस्त कर सकता है तथा आवश्यकतानुसार किसी भी नए प्रकल्प को अपनाकर उसके संचालन हेतु समिति का गठन कर सकेगा ।

अखिलेश पटेल

Scanned by CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

26 JUN 2019

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BN 706840

15. ट्रस्ट की सभी प्रकार की गतिविधियो में आवश्यक अनुशासन बनाये रखने हेतु वंछित विभिन्न प्रकार के संसाधनों व् प्रक्रिया को यह ट्रस्ट किसी भी समय अपना सकता है ।

इस ट्रस्ट डीड (न्यास विलेख) में वर्णित सभी प्राविधान व् दायित्यो, कर्तव्यो व् अतिरिक्त अन्य सभी विषयो के लिए इण्डियन ट्रस्ट एक्ट 1882 में दिए गए सभी प्राविधान लागू होंगे ।

हम इस ट्रस्ट (न्यास) के न्यायकर्ता (एक्जीक्यूटर आफ दि ट्रस्ट व् सभी ट्रस्टीगण, न्यासीगण) ने इस ट्रस्ट डीड (न्यास विलेख) को आद्योपांत ध्यान से व् सोच समझकर पढ़ लिया है तथा इसमें अंकित सभी प्रावधान अर्हताये व् तथ्यों आदि से हम स्वेच्छा से सहमत है बिना किसी जोर जबरजस्ती के हम न्यासी (ट्रस्ट के न्यासी) के ट्रस्टी होने के लिए पूर्ण रूपेण अपनी सहमतिदेते है ।

हम सभी न्यासीगण व् न्यासकर्ता निम्न हस्ताक्षरित साक्षीगण आज दिनांक 12.07.2019 अपने अपने हस्ताक्षर इस ट्रस्ट डीड (न्यास विलेख) पर बनाए है और आज ही निम्नलिखित साक्षीगणों ने भी हम सभी के समक्ष अपने अपने हस्ताक्षर ट्रस्ट डीड (न्यास विलेख) पर बनाये है ।

अजित पटेल

हस्ताक्षर न्यासकर्ता

(मुख्य न्यासी)

जंग बहादुर सिंह S/o राम नरायन सिंह

नि० - करसूमा, न्यरियानी फतेहपुर

योगेन्द्र सिंह S/o कृष्ण राम

नि० रोहरा, सिठोरा, फतेहपुर

लेखक

R. Kumal Maurya

Adv

(Ranjeet Kumal Maurya)

Adv

Scanned by CamScanner

आवेदन सं०: **201900878011527**

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 185 के पृष्ठ 333 से 352 तक क्रमांक 42 पर दिनाँक 12/07/2019 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

प्रतिभान श्रीवास्तव प्र0

उप निबंधक : सदर

फतेहपुर

12/07/2019

Scanned by CamScanner